



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227579
CG-DL-E-14062021-227579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943

No. 322]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सा.का.नि. 400(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप धारा(1) द्वारा यथापेक्षित, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उपर्युक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, श्री मदन चौरसिया, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएं (ईमेल आईडी- madan.c@nic.in)।

मसौदा नियम

- (i) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम(केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
(ii) ये राजपत्र में इस अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 55 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :-

“बशर्ते यह और कि यदि कोई बीमाकृत महिला मातृत्व हितलाभ प्राप्त कर रही है और मातृत्व हितलाभ के कारण, उस अंशदान समाप्त अवधि में कम अंशदान अवधि उपलब्ध है जिसमें मातृत्व हितलाभ पड़ता है, तो वह तदनुरूपी हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए योग्य होगी, यदि ऐसी अंशदान अवधि में बीमाकृत महिला के संबंध में देय अंशदान के संबंध में कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या आधी से कम न हो।”

[फा. सं. एस-65012/01/2021-एसएस-1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली को भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 22 जून, 1950 की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 212 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा पिछला संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

G.S.R. 400(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication in Official Gazette;

Any objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions may be addressed to Shri Madan Chaurasia, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 (Email ID- madan.c@nic.in).

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules 1950, in rule 55, the following proviso shall be added: -

“Provided further that in case an Insured woman who is in receipt of maternity benefit and due to reason of which, a shorter contribution period is available to her in the contribution period ending in which the Maternity Benefit falls, she shall be qualified to claim sickness benefit in the corresponding benefit period if the contribution in respect of her were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period”

[F. No. S-65012/01/2021-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification number G.S.R. 676(E), dated the 27th October, 2020.